

an>

**Title: Papers Laid On The Table of the House by  
Ministers/Members**

**माननीय सभापति:** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

श्री राव इंद्रजीत सिंह जी ।

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH):** Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.895(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> September, 2018.
- (ii) The National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.400(E) published in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> May, 2022.
- (iii) S.O.2433(E) published in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> May, 2022, appointing Dr. Ajay Bhushan Prasad Pandey as the Chairperson of the National Financial Reporting Authority

*w.e.f.* 1<sup>st</sup> April, 2022 (forenoon) for a period of three years or till the incumbent attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

- (iv) S.O.2434(E) published in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> May, 2022, appointing Shri Praveen Kumar Tiwari as the full-time member of the National Financial Reporting Authority *w.e.f.* 28<sup>th</sup> March, 2022 (forenoon) for a period of three years or till the incumbent attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.
  - (v) The National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.602(E) published in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> July, 2022.
  - (vi) S.O.3376(E) published in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> July, 2022, appointing Ms. Smita Jhingran as the full time member of the National Financial Reporting Authority for a period of three years *w.e.f.* 19<sup>th</sup> April, 2022 (forenoon) i.e. the date on which she entered upon her office, or till she attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT7459/17/22]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949,

Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 and Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

- (i) G.S.R.222(E) published in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> March, 2022, making certain amendments in Notification No. G.S.R.835(E) dated 3<sup>rd</sup> November, 2015.
- (ii) S.O.2184(E) published in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> May, 2022, appointing the 10<sup>th</sup> day of May, 2022, as the date on which the provisions, mentioned therein, of the Chartered Accountants, Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Act, 2022 and shall come into force.

[Placed in Library, See No. LT7460/17/22]

उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)**: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ :

- (1) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7461/17/22]

- (3) (एक) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7462/17/22]

- (5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों) की एक-एक प्रति: -
- (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग नियम, 2021 (आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022 जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग नियम, 2021 (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT7463/17/22]

- (6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 26 की उप-धारा (3) के तहत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों) की एक-एक प्रति: -

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति) विनियम, 2021 जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी-25055/1/2021-एफएंडए में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग का कार्य संचालन और शर्तें एवं शक्तियों के प्रत्योजन की सीमाएं) विनियम, 2021 जो दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आर-11011/1/2021-स्था. में प्रकाशित हुए थे ।

(7) उपरोक्त (6) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7464/17/22]

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 3194(अ) जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजमार्ग/विमानपत्तन/पोत/तापीय परियोजना की कतिपय श्रेणी में छूट दी गई है ।

(दो) का. आ. 3250(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वितीयक

धातुकार्मिक प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आने वाले इस्पात पुनःरोलिंग प्रचालनों के बारे में है ।

- (तीन) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध (संशोधन) नियम, 2022 जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT7465/17/22]

- (9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का. आ. 1485(अ) जो 22 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में कालेसर राष्ट्रीय पार्क और कालेसर वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (तीन) का. आ. 3100(अ) जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में भिंडावास वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (चार) का. आ. 3308(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में खोल ही रैतन वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (पांच) का. आ. 3516(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में बीर शिकारगढ़ वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

- (छह) का. आ. 68(अ) जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में खापरवास वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (सात) का. आ. 436(अ) जो 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में छिछला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (आठ) का. आ. 1911(अ) जो 01 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में असोला भाटी वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (नौ) का. आ. 838(अ) जो 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में दरांगघाटी वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (दस) का. आ. 1813(अ) जो 07 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में मजथल वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (ग्यारह) का. आ. 1858(अ) जो 08 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला वॉटर कैचमेंट वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (बारह) का. आ. 2404(अ) जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में रक्षम-चितकुल वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

- (तेरह) का. आ. 3193(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में सेचू तुआन नाला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (चौदह) का. आ. 3710(अ) जो 22 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में तालरा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (पंद्रह) का. आ. 277(अ) जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में इंदरकिला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (सोलह) का. आ. 2774(अ) जो 01 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में उडवा झील पक्षी पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (सत्रह) का. आ. 2775(अ) जो 01 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में हजारीबाग वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (अठारह) का. आ. 2795(अ) जो 05 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पारसनाथ वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।
- (उन्नीस) का. आ. 2796(अ) जो 05 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य

में गौतम बुद्ध वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

(बीस) का. आ. 2895(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में कोडरमा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

(इक्कीस) का. आ. 2896(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में लवालौंग वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

(बाईस) का. आ. 2897(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पालकोट वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

(तेईस) का. आ. 2898(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पलामु वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

(चौबीस) का. आ. 3871(अ) जो 29 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में जसरोटा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

(पच्चीस) का. आ. 3528(अ) जो 27 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में दरोजी भालू पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

(छब्बीस) का. आ. 2996(अ) जो 12 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नई दिल्ली राज्य में असोला भाटी पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT7466/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7467/17/22]

- (3) मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

पंद्रहवीं लोक सभा		
1.	विवरण सं. 37	पांचवां सत्र, 2010
		[Placed in Library, See No. LT7468/17/22]
सोलहवीं लोक सभा		

2.	विवरण सं. 17		तेरहवां सत्र, 2017-18
		[Placed in Library, See No. LT7469/17/22]	
सत्रहवीं लोक सभा			
3.	विवरण सं. 15		पहला सत्र, 2019
4.	विवरण सं. 11		तीसरा सत्र, 2020
5.	विवरण सं. 10		पांचवां सत्र, 2021
6.	विवरण सं. 9		छठा सत्र, 2021
7.	विवरण सं. 3		सातवां सत्र, 2021
8.	विवरण सं. 3		आठवां सत्र, 2022

[Placed in Library, See No. LT7470/17/22]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
  - (दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
  - (तीन) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7471/17/22]

- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7472/17/22]

- (4) वर्ष 2021-2022 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा बाजार उधारियों के विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7473/17/22]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/78 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/79 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/80 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/82 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसरसचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 04 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/83 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक निवेश योजनाएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/84 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/81 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT7474/17/22]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2809(अ) जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर में न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिविहित किए जाने में संशोधन के बारे में है ।

(दो) का.आ. 2810(अ) जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लेह जिले और कारगिल जिले में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, लेह और कारगिल

को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिविहित किए के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT7475/17/22]

- (7) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/76 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7476/17/22]

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2022 जो 05 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2022 जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 524(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT7477/17/22]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अधिसूचना संख्या 16/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 11 मार्च, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के

लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का.आ.1166(अ) जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ वेल्यू के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) अधिसूचना संख्या 18/2022-सी.शु.(एन.टी.) 17 मार्च, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) का.आ.1547(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) अधिसूचना संख्या 32/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 7 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) का.आ.1824(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (सात) अधिसूचना संख्या 34/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 21 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 36/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 28 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (नौ) का.आ.2030(अ) जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दस) अधिसूचना संख्या 38/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 29 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (ग्यारह) अधिसूचना संख्या 40/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 05 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (बारह) का.आ.2228(अ) जो 13 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ वेल्यू के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तेरह) अधिसूचना संख्या 42/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चौदह) अधिसूचना संख्या 43/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 19 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पंद्रह) का.आ.2495(अ) जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सोलह) अधिसूचना संख्या 49/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 02 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सत्रह) का.आ.2755(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर

खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) अधिसूचना संख्या 51/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 16 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) अधिसूचना संख्या 53/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 28 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) अधिसूचना संख्या 54/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 29 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) का.आ.2960(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) अधिसूचना संख्या 58/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 07 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में

अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (तेईस) कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चौबीस) नियंत्रित डिलीवरी (सीमा शुल्क) विनियम, 2022 जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पच्चीस) डाक द्वारा निर्यात विनियम, 2018 जो 04 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 525(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छब्बीस) बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित वस्तुएं) प्रवर्तन संशोधन नियम, 2018 जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सत्ताईस) का.आ. 582(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 51/2010- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (अठ्ठाईस) सा.का.नि.572(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की डीईसी टेबलेट से संबंधित आयातों और पेट्रोलियम प्रचालनों

- से संबंधित वस्तुओं पर आईजीएसटी दरों की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (उनतीस) सा.का.नि. 573(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 19/2019- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की विनिर्दिष्ट रक्षा बलों के आयातों पर बीसीडी संबंधी छूट और आयात संबंधी पर आईजीएसटी दरों की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीस) सा.का.नि. 574(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (इकतीस) सा.का.नि. 587(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या 22/2022- सी.शु. को और संशोधित करना है ताकि टीआरक्यू धारकों को भारत-यूई सीईपीए की टीआरक्यू प्रणाली के अंतर्गत आईआईबीएक्स के जरिए स्वर्ण आयात में सक्षम बनाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (बत्तीस) सा.का.नि. 598(अ) जो 23 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 13 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 49/2021- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि दाल (मसूर) पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) की वर्तमान शून्य दर को 31 मार्च, 2023 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (10) उपर्युक्त (9) की मद सं. (एक) से (चार), (छब्बीस) और (सत्ताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7478/17/22]

- (11) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2022 जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2022 जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 373(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सीमाशुल्क टैरिफ (कम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ प्राथमिकता योजना के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2015 जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (पांच) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2011 जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 594(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (12) उपर्युक्त (11) की मद सं. (3) से (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7479/17/22]

- (13) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 550(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सा.का.नि. 553(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 556(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक

में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 559(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 562(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 565(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 568(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 10/2019-केंद्रीय कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 569(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 14/2019-केंद्रीय कर को

संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT7480/17/22]

(14)

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 551(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सा.का.नि. 554(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 557(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 560(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-एकीकृत कर (दर) को

संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 563(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 566(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 47/2017-एकीकृत कर (दर) को निरस्त करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT7481/17/22]

(15) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 552(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (दो) सा.का.नि. 555(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 558(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 561(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) सा.का.नि. 564(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) सा.का.नि. 567(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-संघ-राज्यक्षेत्र

कर (दर) को निरस्त करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 570(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 2/2019-संघ-राज्यक्षेत्र कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 571(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT7482/17/22]

(16) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 579(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017 को संशोधित करना है ताकि उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के अंत तक क्षेत्रीय संयोजकता योजनाओं (आरसीएस) के कतिपय विनिर्दिष्ट मार्गों के लिए

प्रचालकों और कार्गो प्रचालकों द्वारा लिए गए एटीएफ पर उत्पाद शुल्क की छूट दर को विस्तारित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT7483/17/22]

- (17) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-2022 के अंत में बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7484/17/22]

- (18) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ-राज्यक्षेत्र वित्त संबंधी जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 2) ।

[Placed in Library, See No. LT7485/17/22]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 5) (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर) राजस्व विभाग ।

[Placed in Library, See No. LT7486/17/22]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 6) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)-रत्न और

आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा ।

[Placed in Library, See No. LT7487/17/22]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 15) (अनुपालन लेखापरीक्षा) – वित्त और संचार ।

[Placed in Library, See No. LT7488/17/22]

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (रेल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 16) – भारतीय रेल में अवशिष्ट प्रबंधन का निष्पादन लेखापरीक्षा ।

[Placed in Library, See No. LT7489/17/22]

(छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 17) – सीजीएचएस में दवाओं का क्रय और आपूर्ति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का निष्पादन लेखापरीक्षा ।

[Placed in Library, See No. LT7490/17/22]

(सात) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 10) (निष्पादन लेखापरीक्षा)– स्मारकों और पुरावशेषों का परिरक्षण और संरक्षण, संस्कृति मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई ।

[Placed in Library, See No. LT7491/17/22]

(आठ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 4) (निष्पादन लेखापरीक्षा)-तटीय पारितंत्रों का संरक्षण, पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ।

[Placed in Library, See No. LT7492/17/22]

(नौ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 12) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)-दातव्य न्यास और संस्थानों को छूट संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा ।

[Placed in Library, See No. LT7493/17/22]

(दस) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2019-2020 के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 18) – राजवित्तीय और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का अनुपालन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ।

[Placed in Library, See No. LT7494/17/22]

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए विनियोग लेखे ।
- (दो) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए वित्त लेखे (खण्ड-एक) ।
- (तीन) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए वित्त लेखे (खण्ड-दो) ।

[Placed in Library, See No. LT7495/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्रीमती मीनाक्षी लेखी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर

रखता हूँ:

- (1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
  - (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
  - (तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7496/17/22]

- (3) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
  - (दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7497/17/22]

- (5) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) साउथ सेंटरल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7498/17/22]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती रेणुका सिंह सरुता**): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

- (1) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवपलमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवपलमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7499/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती अन्नपूर्णा देवी**): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

- (1) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7500/17/22]

- (3) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7501/17/22]

- (5) (एक) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7502/17/22]

- (7) (एक) समग्र शिक्षा – दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिलवासा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) समग्र शिक्षा – दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिलवासा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7503/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7504/17/22]

- (3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7505/17/22]

- (5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7506/17/22]

- (7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7507/17/22]

- (9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7508/17/22]

- (11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7509/17/22]

- (13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7510/17/22]

- (15) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7511/17/22]

- (17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7512/17/22]

- (19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7513/17/22]

- (21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी

तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7514/17/22]

- (23) (एक) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7515/17/22]

- (25) (एक) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।  
(दो) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।  
(तीन) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (27) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (29) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7518/17/22]

(31) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनी हिल्स के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7519/17/22]

(33) (एक) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7520/17/22]

(35) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।  
(तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7521/17/22]

(37) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7522/17/22]

(39) (एक) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7523/17/22]

- (41) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7524/17/22]

- (43) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7525/17/22]

- (45) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7526/17/22]

- (47) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7527/17/22]

- (49) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7528/17/22]

- (51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7529/17/22]

- (53) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7530/17/22]

- (55) (एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7531/17/22]

- (57) (एक) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7532/17/22]

(59) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7533/17/22]

(61) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7534/17/22]

- (63) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7535/17/22]

- (65) (एक) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7536/17/22]

- (67) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7537/17/22]

- (69) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7538/17/22]

- (71) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2022 जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.1-27/2021 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7539/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and activities of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT7540/17/22]

(2) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980:-

- (i) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7541/17/22]

- (ii) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7542/17/22]

- (iii) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7543/17/22]

- (iv) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and

Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7544/17/22]

- (v) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7545/17/22]

- (vi) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7546/17/22]

- (vii) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7547/17/22]

- (viii) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7548/17/22]

- (ix) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7549/17/22]

- (x) Report on the working and activities of the Bank of India for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7550/17/22]

(xi) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(3) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Banks mentioned at (2) above for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT7551/17/22]

---

-

**12.03 hrs**